न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर0ए0एस0

अपील माल प्रकरण सं0 10/17

1. सुखी पत्नी सुरजाराम
2. गोपाल पुत्र सुरजाराम
3. सावित्री पुत्री सुरजाराम
4. बुधराम पुत्र सुरजाराम
5. लालचन्द पुत्र सुरजाराम
6. चुन्नीलाल पुत्र सुरजाराम
7. मेहरचन्द पुत्र सुरजाराम
8. चेतराम पुत्र सुरजाराम
9. ओमप्रकाश पुत्र खड़गाराम
10. पतराम पुत्र रखाराम
11. कालुराम पुत्र रखाराम
12. गुड्डी पुत्री रखाराम

अकवाम नायक सकनाए गॉव रामपुरा न्यौला तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

अपीलार्थीगण

बनाम

1. अजायबसिंह पुत्र सुन्दरसिंह जाति जटसिख निवासी तामकोट तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 03–01–17तहसीलदार, पदमपुर।

उपस्थित :

1. श्री सुभाष मिढा, अधिवक्ता, अपीलार्थीगण
2 राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट सं0 2 स्टेट

आदेश दिनांक 05–07–17

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार हैं कि चक 34 आर बी तहसील पदमपुर के मु0 नं0 47,48 कुल भूमि 5.313 है0 में से मु0 नं0 47 की 2.707 है0 भूमि रखाराम, खड़गाराम व सुरजाराम पिसरान राहूराम जाति नायक के नाम से राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी। अपीलांट के पूर्वजों द्वारा साधनों के अभाव में स्वंय काश्त न कर हिस्सा ठेका पर काश्त करवाते थे। रेस्पोडेन्ट सं0 1 को भी

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

काश्त पर दी गई तथा हिस्सा ठेका पर काश्त करवाई जाती थी। किसी भी प्रकार से भूमि का बेचान रेस्पोडेन्ट सं0 1 को नहीं किया गया। अपीलांट द्वारा हिस्सा ठेका की राशि की मॉग की गई तो रेस्पोडेन्ट सं0 1 ने भूमि खरीद करना बताया। इस पर अपीलांट ने रेस्पोडेन्ट सं0 2 तहसीलदार, पदमपुर को कब्जा दिलाये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसपर पटवारी हल्का की रिपोर्ट ली गई। अपीलाधीन भूमि हरिजन जाति के व्यक्तियों की है जिसपर रेस्पो0 सं0 1 स्वर्ण जाति ने कब्जा कर काश्त की जा रही है। अधीनस्थ द्वारा रेस्पो0 सं01 को नोटिस जारी किया गया, जिसका रेस्पो0 सं0 1 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया तथा जवाब में कथन किया कि उसके द्वारा उक्त भूमि वर्ष 1965 में खरीद की हुई है जिसका इन्तकाल उसने अभी तक अपने नाम से नहीं करवाया है। राजस्व रेकार्ड में पृष्ठांकन अपीलान्टस के नाम से है जबकि रजिस्टर्ड बैयनामा से भूमि खरीद की गई है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 का उल्लघंन है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया और प्रकरण को इस आधार पर निरस्त कर दिया कि वर्ष 1965 से रजिस्ट्री के आधार पर रेस्पोडेन्ट काबिज है तथा 44 वर्ष की अवधि के बाद पेश होने के कारण मियाद बाहर होने से निरस्त किया गया है। अपीलाधीन भूमि पर अजायबसिंह जो स्वर्ण जाति का है बतौर अतिक्रमी काबिज है। कोई व्यक्ति कानून की उल्लघंना में यदि कृषि भूमि खरीद करता है तो ऐसा बैयनामा विधिमान्य नहीं है। खड़गाराम की मृत्यू दिनांक 31–01–10 को व रखाराम की मृत्यू दिनांक 7–7–13 को हो चुकी है, जिनके विधिक उतराधिकारियों को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेकार्ड पर नहीं लिया गया था। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह रिपोर्ट आ चुकी थी कि हरिजन व्यक्तियों की भूमि पर स्वर्ण जाति के व्यक्ति का कब्जा किया हुआ है तो अधीनस्थ न्यायालय को रेस्पो0 सं0 1 के विरूद्व धारा 175 आर0टी0 एक्ट के तहत कार्यवाही करनी चाहिये थी जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं की गई है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

अपीलाधीन आदेश से संबंधित रेकार्ड अधीनस्थ न्यायालय का प्राप्त किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलांटस के अधिवक्ता ने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों पर अपनी बहस आधारित करते हुए कहा है कि चक 34 आर बी तहसील पदमपुर के मु0 नं0 47,48 कुल भूमि 5.313 है0 में से मु0 नं0 47 की 2.707 है0 भूमि रखाराम, खड़गाराम व सुरजाराम पिसरान राहूराम जाति नायक के नाम से राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी। अपीलांट के पूर्वजों द्वारा साधनों के अभाव में स्वंय काश्त न कर हिस्सा ठेका पर काश्त करवाते थे। रेस्पोडेन्ट सं0 1 को भी काश्त पर दी गई तथा हिस्सा ठेका पर काश्त करवाई जाती थी। किसी भी प्रकार से भूमि का बेचान रेस्पोडेन्ट सं0 1 को नहीं किया गया। अपीलांट द्वारा हिस्सा ठेका की राशि की मॉग की गई तो रेस्पोडेन्ट सं0 1 ने भूमि खरीद करना बताया। इस पर अपीलांट ने रेस्पोडेन्ट सं0 2 तहसीलदार, पदमपुर को कब्जा दिलाये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसपर पटवारी हल्का की रिपोर्ट ली गई। रेस्पो0 सं0 1 द्वारा जवाब में कथन किया कि उसके द्वारा उक्त भूमि वर्ष 1965 में खरीद की हुई है जिसका इन्तकाल उसने अभी तक अपने नाम से नहीं करवाया है। राजस्व रेकार्ड में पृष्ठांकन अपीलान्टस के नाम से है जबकि रजिस्टर्ड दैयनामा से भूमि खरीद की गई है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 का उल्लघंन है। अधीनस्थ न्यायालय ने वाद 44 वर्ष की अवधि के बाद पेश होने के कारण मियाद बाहर होने से निरस्त किया गया है। अपीलाधीन भूमि पर अजायबसिंह जो स्वर्ण जाति का है बतौर

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अतिक्रमी काबिज है। कोई व्यक्ति कानून की उल्लघंना में यदि कृषि भूमि खरीद करता है तो ऐसा बैयनामा विधिमान्य नहीं है। खड़गा राम व रखाराम के विधिक उतराधिकारियों को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेकार्ड पर नहीं लिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय को रेस्पो0 सं0 1 के विरूद्व धारा 175 आर0टी0 एक्ट के तहत कार्यवाही करनी चाहिये थी जो नहीं की गई है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे। अपने तर्को के समर्थन में आर आर टी 2012(2) पेज 971, पेज 1277 एवं 2013 डी0एन0जे0 (राज0) पेज 1409 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये हैं।

रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा वर्ष 1965 में रजिस्टर्ड बैयनामा से भूमि खरीद की गई थी। पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण सं0 8/2009 संस्थित किया गया तथा अप्रार्थी अजायबसिंह के पोते पर नोटिस की तामील के बाद अप्रार्थी द्वारा उपस्थित न होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए दिनांक 28–5–09 को आदेश पारित कर अजायबसिंह को अतिक्रमी मानते हुए बेदखली का आदेश दिया गया। इस आदेश के विरूद्व इसी न्यायालय में अपील सं0 48/2009 संस्थित हुई तथा अपीलांटस द्वारा शिकायत सं0 061427964552 दिनांक 29–6–14 को '' सरकार आपके द्वार'' कार्यक्रम के अन्तर्गत जनसुनवाई के दौरान प्रस्तुत की गई, जिसे धारा 183 बी में संस्थित किया गया तथा उक्त प्रकरण का निस्तारण दिनांक 1–12–14 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 183बी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने के कारण इस इस आधार पर निरस्त कर दिया गया कि अपील विचाराधीन है तथा माननीय राजस्व मण्डल का स्थगन है। इस न्यायालय में लंबित अपील दिनांक 25–6–15 को निर्णित हुई, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 28–5–09 निरस्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि सभी संबंधित पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः नये सिरे से विधिसम्मत् आदेश पारित करें। रिमाण्ड आदेश की पालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण सं0 16/15 में दिनांक 3–1–17 को निर्णय पारित किया कि पूर्व में धारा 183 बी का वाद पत्र दिनांक 1–2–14 को खारिज किया जा चुका है। उक्त भूमि के संबंध में उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के न्यायालय में वाद लंबित है। रजिस्टर्ड बैयनामा 12–04–1965 का है जबकि वादपत्र दिनांक 6–3–09 को 44 वर्ष की अवधि के बाद पेश किया गया है, जो मियाद बाहर मानकर खारिज किया गया है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 3–1–17 विधिसम्मत् है। अपीलांटस इस अपील के माध्यम से कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अधिकतम स्टेट 175 की कार्यवाही कर सकती है। अतः अपील खारिज की जावे। अपने तर्को के समर्थन में रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता द्वारा आर0आर0डी0 1986 पेज 411, आर0आर0डी01988 पेज 428, डी0एन0जे0 2006 (3) राजस्थान पेज 1365 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 अनुसूची iii की प्रति एवं उक्त न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये हैं।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता का तर्क है कि धारा 183 बी का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मियाद बाहर मानते हुए खारिज किया गया है इसलिए

अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अपील मियाद बाहर होने से खारिज होने योग्य है। इसके खण्डन में अपीलांट के अधिवक्ता ने कहा है कि इसी न्यायालय द्वारा अपील प्रकरण सं0 48/09 अनवानी अजायबसिंह बनाम पटवारी हल्का व अन्य में दिनांक 25–6–15 को निर्णय पारित कर, अपील स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय को सभी संबंधित पक्षकारों को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः नये सिरे से विधिसम्मत् आदेश पारित करने के निर्देश दिये गये थे, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिमाण्ड आदेश की पालना न कर मियाद के बिन्दु पर प्रकरण को खारिज कर दिया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय को गुणदोष के आधार पर निर्णय पारित करना चाहिये। वैसे भी जब इस न्यायालय द्वारा अपील स्वीकार की गई थी तो मियाद का बिन्दु नहीं रह जाता है। अपने तर्को के समर्थन में वकील अपीलांट ने निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किए हैं:–

आर आर टी 2012(2) पेज 971, पेज 1277 एवं 2013 डी0एन0जे0 (राज0) पेज 1409

आर आर टी 2012(2) पेज 971 में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि :– Sale agreement is against the Govt. Public Policy & the case cannot be dissmissed on the point of limitation only.

इसी प्रकार, आर. आर. टी. 2012(2) पेज 1277 में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि :– Transfer of land of member of SC/ST in favour of person of non SC/ST is null & void.

डी0एन0जे0 2013 पेज 1409 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि :– राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 – धारा 183बी, 42(बी)– अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि– जी व एस का प्रार्थना पत्र खारिज किया– राजस्व मण्डल ने इसे स्वीकार किया – रिट याचिका खारिज हुई – तर्क कि उन्होनें भूमि डिक्रीगत राशि भुगतान करके क्रय की है क्योंकि भूमि कुर्की अधीन थी – धारा 42(बी) के उल्लघंन में किया गया विक्रय प्रारम्भतः शून्य था – अपीलांट के पक्ष में अधिकार उत्पन्न नहीं हुए – निर्णीत, अपील गुणागुणहीन है व खारिज की।

रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता द्वारा आर0आर0डी0 1986 पेज 411, आर0आर0डी01988 पेज 428, डी0एन0जे0 2006 (3) राजस्थान पेज 1365 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 अनुसूची III की प्रति एवं उक्त न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये हैं।

पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि चक 34 आर बी तहसील पदमपुर के मु0 नं0 47,48 कुल भूमि 5.313 है0 में से मु0 नं0 47 की 2.707 है0 भूमि रखाराम, खड़गाराम व सुरजाराम पिसाराम राहूराम **जाति नायक के नाम से राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी**। अपील मीमो में वर्णितानुसार रेस्पोडेन्ट सं0 1 को विवादास्पद भूमि काश्त पर दी गई तथा हिस्सा ठेका पर काश्त करवाई जाती थी। किसी भी प्रकार से भूमि का बेचान रेस्पोडेन्ट सं0 1 को नहीं किया गया। अपीलांट द्वारा हिस्सा ठेका की राशि की मॉग की गई तो रेस्पोडेन्ट सं0 1 ने भूमि खरीद करना बताया। इस पर अपीलांट ने रेस्पोडेन्ट सं0 2 तहसीलदार, पदमपुर को कब्जा दिलाये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किय। **रेस्पो0 सं0 1 द्वारा जवाब में कथन किया कि उसके द्वारा उक्त भूमि वर्ष 1965 में खरीद की हुई है जिसका**

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

इन्तकाल उसने अभी तक अपने नाम से नहीं करवाया है। राजस्व रेकार्ड में पृष्ठांकन अपीलान्टस के नाम से है जबकि रजिस्टर्ड बैयनामा से भूमि खरीद की गई है।

उक्त बैयनामा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 का उल्लघंन है क्योंकि एक ST/SC से भिन्न सदस्य की भूमि उससे भिन्न सदस्य को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42(ख) के तहत हस्तान्तरण निषिद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय ने वाद 44 वर्ष की अवधि के बाद पेश होने के कारण मियाद बाहर होने से निरस्त किया गया है। अपीलाधीन भूमि पर अजायबसिंह जो ST/SC से भिन्न सदस्य है बतौर अतिक्रमी काबिज है। कोई व्यक्ति कानून की उल्लघंना में यदि कृषि भूमि खरीद करता है तो ऐसा बैयनामा प्रारम्भ से ही शून्य एवं प्रभावहीन तथा विधिमान्य नहीं है। वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत माननीय राजस्व मण्डल एवं माननीय उच्च न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टान्तों में यही अवधारित किया गया है कि Sale agreement is against the Govt. Public Policy & the case cannot be dissmissed on the point of limitation only.

Transfer of land of member of SC/ST in favour of person of non SC/ST is null & void.

धारा 42(बी) के उल्लघंन में किया गया विक्रय प्रारम्भतः शून्य था – अपीलांट के पक्ष में अधिकार उत्पन्न नहीं हुए – निर्णीत, अपील गुणागुणहीन है व खारिज की।

इस प्रकार, इसी न्यायालय द्वारा अपील प्रकरण सं0 48/09 अनवानी अजायबसिंह बनाम पटवारी हल्का व अन्य में दिनांक 25–6–15 को निर्णय पारित कर, अपील स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय को सभी संबंधित पक्षकारों को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः नये सिरे से विधिसम्मत् आदेश पारित करने के निर्देश दिये गये थे, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिमाण्ड आदेश की पालना न कर केवल मियाद के बिन्दु पर प्रकरण को खारिज कर दिया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय को गुणदोष के आधार पर निर्णय पारित करना चाहिये। वैसे भी जब इस न्यायालय द्वारा अपील स्वीकार की गई थी तो मियाद का बिन्दु शेष नहीं रह जाता है।

निष्कर्षतः अपील अपीलांट आशिंक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 3–1–2017 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) पदमपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि सभी संबंधित पक्षकारों को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, गुणदोष के आधार पर पुनः नये सिरे से विधिसम्मत् आदेश पारित करें। उभय पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 20–07–2017 को उपस्थित हों। आदेश की प्रति के साथ रेकार्ड अधीनस्थ न्यायालय को भेजा जावे।

आदेश आज दिनांक 5–7–17 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

5/7/17

(नखतदान बारहठ)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर